



उत्तराखण्ड वासियों के लिए सुनहरा अवसर

पर्यटन विभाग दे रहा आकर्षक ऋण और सब्सिडी
अब घर बैठे करें आवेदन

1- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

50% तक सब्सिडी का प्रावधान

- वाहन मद में पूँजीगत लागत के 25% या 10 लाख एवं इलेक्ट्रिक लग्जरी बस हेतु 50% या 20 लाख गैर वाहन मद में पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 33% या 33 लाख। • मैदानी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत या 25 लाख दिये जाने का प्रावधान है।
- पर्यटक स्थलों तथा यात्रा मार्गों पर फारस्ट फूड रेस्टोरेंट एवं गैरेज
- पर्यटक स्थल पर पेड़िग गेस्ट, मोटेल आदि • पर्यटक सूचना केन्द्र खोलने के लिए • क्यापक या नाव
- ऑल टैरेन बाईक्स, कैरोवान खरीदने के लिए
- टूरिस्ट स्टार गेजिंग, बर्ड वायिंग, लॉन्ड्री, बैकरी, फ्लोटिंग होटेल्स, मिमोराविलिया / सोविनियर सैन्टर खोलने के लिए।



2- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना

₹15 लाख तक की अनुदान राशि

- पर्वतीय क्षेत्रों में पूँजी संकर्म की लागत के 50 प्रतिशत या ₹15 लाख व पाँच साल तक वार्षिक ब्याज में ₹1.50 लाख प्रतिवर्ष की छूट और मैदानी क्षेत्रों में ₹7.50 लाख अधिकतम तथा पाँच वर्ष तक प्रतिवर्ष ब्याज में ₹1 लाख की छूट।
- योजना के तहत उत्तराखण्डवासी अपने घर को पर्यटकों के विश्राम स्थल में बदल कर आर्थिक लाभ कमा सकते हैं।

3- ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे अनुदान योजना

- ट्रैकिंग सेंटर के दो किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव व अधिसूचित ट्रैक पर पड़ने वाले पड़ावों के गांवों में होमस्टे के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- राजकीय सहायता अनुदान के रूप में नए कक्षों के निर्माण हेतु प्रतिकक्ष ₹60 हजार अटैच टॉयलेट की सुविधा के साथ तथा पूर्व से निर्मित कक्षों की साज-सज्जा हेतु ₹25 हजार प्रतिकक्ष, अधिकतम 6 कक्षों तक का भुगतान किया जायेगा।

अधिसूचित जनपद व सम्बंधित गांव

बागेश्वर :- खाती - खाती, दुर्ज, जैकुनी ।

पिथौरागढ़ :- दर - दर, नांगलिंग, सैन, डाकर, दुर्गू • पांगू - पांगू, बूंदी, गुंजी, कुटी, सोसा, नावी • सरमोली - सरमोली, सुरिंग, रिलकोट, मरतोली एवं मिलम ।

चमोली :- लोहाजंग - लोहाजंग, मुन्दोली, वॉक, कुलिंग, दिदिना, वाण, बलाण, हिमनी एवं धेस • तपोवन - तपोवन, रिंगी, सुभाई, सलधार ।

उत्तराकाशी:- हर्षिल - हर्षिल, बगोरी, धराली मुखवा । • सांकरी - सांकरी, सौड, कोटगांव, गंगाड, ओसला, सिदरी । • अगोडा - अगोडा, भंकुली, गजोली, डासडा, नौगांव, दंदालका, निशपी ।

टिहरी :- धुतू - धुतू, रानीडाल, क्रिधार, सत्याला, मेहरगांव, रीचक, गंगी, पुजार गांव, सेंदवाल गांव, चैत्वाण गांव, जोगीयाडा, भाटगांव, अकवा, मल्हा गवणा व तत्तलागवणा । • पन्तवाडी - पन्तवाडी, बांडासारी, तेवा, औतंड, देवलसारी ।

रुद्रप्रयाग :- बुडाकेदार - बुडाकेदार, कोटी, पिस्वाड ।

सारी :- सारी - दिलमी, दैड़ा, मस्तूरा, सारी ।

कुछ साधानियाँ बरतें बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहरें आपस में कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें कुछ भी छुए तों साबुन से कम से कम 30 सेकंड तक हाथ धोएं

ऑनलाइन आवेदन हेतु website- msy.uk.gov.in पर लॉग इन करें।